



हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला-2 (हि०प्र०)



प्ररूप-28
(नियम-266 (7) देखें)
नामांकन प्ररूप

मैं अधिकार प्राप्त आश्रितों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को मेरी ओर से निधि से देय समस्त राशी प्राप्त करने और मेरी मृत्यु होने की स्थिति में मेरे सभी लाभों की राशी प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ :

नामनिर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम व पता तथा पंजीकरण संख्या (यदि कोई हो)	सदस्य के साथ सम्बन्ध	नामनिर्दिष्ट की आयु तथा जन्मतिथि	प्रत्येक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाने वाली राशी (प्रतिशतता में)
1	2	3	4

कर्मकार का नाम:

कर्मकार की पंजीकरण संख्या.....

स्थान :

पता :

तारीख :

.....पिनकोड.....

पंचायत.....ब्लॉक

श्रम अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

(कर्मकार के हस्ताक्षर)

सभी कॉलम भरने आवश्यक है अन्यथा फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा फार्म में किसी भी तरह की कटिंग मान्य नहीं होगी।



हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड
ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला-2 (हि०प्र०)



(नियम-266 (3) देखें)

Certificate of Employment

Certified that Sh./Smt..... S/o,W/o,D/o,Sh.....
Post Office..... Tehsil District State
Panchayat/ Block is working / has worked under my
control at my work site i.e.
.....
in the establishment of for a
period of days w.e.f. to during
the preceding 12 months as (Category/ Rank of Worker) / Job
Card No.

Date:

Signature

**Name, Stamp & Address of the
Panchayat Secretary / Contractor/ Employer**

Age 18 to 60 years

- ① डाक्टर कार्ड - मोदी कपी
- ② बैंक खाता - ~~do~~
- ③ दैनिक अतिथि गैर गैर
- ④ मोदी - 02
- ⑤ महिला कार्ड - 01
- ⑥ मोबा - ₹ 10/- (for online only online)

70184-12255

Mohan Chaudhary



हिमाचल प्रदेश



भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं

शादी हेतु वित्तीय सहायता :- पंजीकृत अविवाहित लाभार्थी के स्वयं के विवाह हेतु 51000/- रुपये तथा विवाहित लाभार्थी के दो बच्चों के विवाह हेतु 51000/- रुपये प्रत्येक बच्चा।

मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा :- 1. पंजीकृत महिला लाभार्थी को प्रसव अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म पर मुबलिंग 25000/- रुपये।
(2) पंजीकृत महिला को दो प्रसवों तक समय-समय पर प्रचलित न्यूनतम की दर से 90 दिन से 26 सप्ताह तक के लिए मातृत्व अवकाश।
(3) पंजीकृत कर्मगार की पत्नी को दो प्रसवों तक 6000/- रुपये प्रति प्रसव।
(4) पुरुष लाभार्थी को पितृत्व सुविधा के तहत बच्चे के जन्म पर 1000/- की राशि प्रदान की जाएगी।

चिकित्सा सहायता :- पंजीकृत लाभार्थी और उसके आश्रितों को चिकित्सा उपचार हेतु अस्पताल/ सरकार द्वारा अनुमोदित/ चयनित अस्पतालों/ औषधालयों के चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष बाह्य (Outdoor) चिकित्सा उपचार के लिए 50000/- रुपये और अंतरंग (Indoor) चिकित्सा उपचार के लिए 1 लाख रुपये। इसके अतिरिक्त गंभीर बीमारी के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये।

मृत्यु सहायता :- यदि पंजीकृत सदस्य की मृत्यु दुर्घटना से होती है तो नाम निर्देशितों को 4 लाख रुपये एवं प्राकृतिक मृत्यु पर 2 लाख रुपये।

अन्तिम संस्कार हेतु सहायता :- नाम निर्देशितों/ आश्रितों को 20000/- रुपये की राशि देय होगी।

पेंशन सुविधा :- पंजीकृत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन का हकदार होगा, न्यूनतम राशि 1000/- रुपये प्रतिमाह के हिसाब या फिर विकलांगता होने पर भी पेंशन दी जायेगी।

विकलांगता पेंशन :- पंजीकृत लाभार्थी की दुर्घटना एवं बीमारी के कारण हुई विकलांगता की स्थिति में 500/- प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत से अधिक विकलांगता की स्थिति में 50000/- और 50 प्रतिशत से कम विकलांगता में 25000/- की राशि प्रदान की जाती है।

बेटी जन्म उपहार योजना :- पंजीकृत लाभार्थी के दो बेटी के जन्म हेतु मु. 51000/- (प्रत्येक बेटी) की राशि एफ. डी. आर. के रूप में बोर्ड द्वारा दी जाएगी तथा जिसे बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर निकाला जाएगा।

मानसिक रूप से मंद/अपंग बच्चों के लिए योजना :- मानसिक रूप से मंद बच्चों तथा पंजीकृत लाभार्थी के अपंग बच्चों की देखभाल के लिए बोर्ड द्वारा मु. 200000/- की राशि प्रत्येक वर्ष दी जाएगी।

विधवा पेंशन योजना :- पंजीकृत लाभार्थी की विधवा को मु. 1500/- की राशि प्रत्येक माह बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।

होस्टल सुविधा योजना :- पंजीकृत लाभार्थी के बच्चों को होस्टल में रहने पर बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष मु. 15000/- से मु. 20000/- तक की राशि आवास, बोर्डिंग तथा भोजन के लिए प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री आवास योजना/पी.एम.ए.वाई. :- पंजीकृत लाभार्थी को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मु. 150000/- की राशि उनके पी.एम.ए.वाई. या एम.ए.वाई. योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मकान बनाने हेतु बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।

क्र. स.	पाठ्यक्रम	राशि (रुपये) प्रति वर्ष
1.	प्रथम कक्षा से आठवीं स्तर तक	8400/-
2.	नौवीं से 10+2 स्तर तक	12000/-
3.	स्नातक कक्षाएं :- (1) कला स्नातक (2) बी. एस. सी./बी. कॉम/बी. बी. ए. या इसके बराबर	36000/-
4.	स्नातकोत्तर :- (1) कला एवं वाणिज्य संकाय (2) विज्ञान संकाय	60000/-
5.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि :- एक वर्ष/ दो वर्ष/ तीन वर्ष	48000/-
6.	पोलिटेक्निक डिप्लोमा (तीन वर्ष) :-	60000/-
	व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे मैडिकल/ इंजीनियरिंग इत्यादि । पी. एच. डी./ अनुसंधान पाठ्यक्रम	120000/-

अधिक जानकारी हेतु
सम्पर्क कार्यालय :-
श्रम अधिकारी,
सोलन, जॉन सोलन हि0 प्र0
दूरभाष संख्या:- 01792 -227076